# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

**(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)**

**अपील संख्याः–18/2017**

**निर्णय दिनांकः–27.03.2018**

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र लादूलाल जाति मीणा निवासी गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक
2. राजेश कुमार पुत्र लादूलाल जाति मीणा निवासी गुन्सी तह. निवाई जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच, ग्रा.पं. गुन्सी, तहसील निवाई
2. तहसीलदार सा0 निवाई
3. पटवारी हल्का गुन्सी तहसील निवाई

–रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं. 923 दिनांक 05.12.2003**
**ग्रा.पं. गुन्सी**

उपस्थितः–श्री गोपाल चौधरी वकील अपीलान्ट

**निर्णय**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के पिता की सम्पत्ति आराजी खाता सं. 149 ख.नं. 743 रकबा 02–05 बीघा, ख.नं. 831 रकबा 04–10 बीघा, ख.नं. 841 रकबा 01–13 बीघा, ख.नं. 842 रकबा 01–13 बीघा, ख.नं. 844 रकबा 01–12 बीघा, ख.नं. 904/1 रकबा 0–13 बीघा वाके ग्राम गुन्सी में स्थित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी के पिता का नाम गंगल्या अंकित कर दिया जो गलत है क्योंकि गंगल्या प्रार्थी के दादा थे। प्रार्थी के पिता का नाम लादूलाल है। इस कारण उक्त नामांतकरण निरस्त किया जावे। ग्राम गुन्सी में नाथूलाल–राजेश कुमार पि. गंगल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है इस कारण प्रार्थी ही उक्त भूमि की एकमात्र मालिक है और प्रार्थी को अपने दैनिक जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस कारण उक्त नामांतकरण संख्या 923 को निरस्त किया जावे। अतः अपील अपीलार्थी मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या 923 दिनांक 05.12.2003 ग्राम पंचायत गुन्सी को निरस्त कर उक्त भूमि का अपीलार्थी के हक में नाथूलाल पुत्र

Scanned by CamScanner

लादूलाल व राजेश कुमार पुत्र लादूलाल के नाम से नामांतकरण भरे जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट को दिया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्टस की गई। रेस्पोडेन्ट्स बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

वकील अपीलांट की बहस एकतरफा सुनी गयी। बहस में प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये बताया कि प्रार्थी के पिता की सम्पत्ति आराजी खाता सं. 149 ख.नं. 743 रकबा 02–05 बीघा, ख.नं. 831 रकबा 04–10 बीघा, ख.नं. 841 रकबा 01–13 बीघा, ख.नं. 842 रकबा 01–13 बीघा, ख.नं. 844 रकबा 01–12 बीघा, ख.नं. 904/1 रकबा 0–13 बीघा वाके ग्राम गुन्सी में स्थित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण खोलते समय प्रार्थी के पिता का नाम गंगल्या अंकित कर दिया जो गलत है क्योंकि गंगल्या प्रार्थी के दादा थे। प्रार्थी के पिता का नाम लादूलाल है। इस कारण उक्त नामांतकरण निरस्त किया जावे। ग्राम गुन्सी में नाथूलाल–राजेश कुमार पि. गंगल्या नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है इस कारण प्रार्थी ही उक्त भूमि की एकमात्र मालिक है और प्रार्थी को अपने दैनिक जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड रहा है। इस कारण उक्त नामांतकरण संख्या 923 को निरस्त किया जावे। अतः निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर नामांतकरण संख्या 923 दिनांक 05.12.2003 ग्राम पंचायत गुन्सी को निरस्त कर उक्त भूमि का अपीलार्थी के हक में नाथूलाल पुत्र लादूलाल व राजेश कुमार पुत्र लादूलाल के नाम से नामांतकरण भरे जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट को दिया जाना विधिसंगत व न्यायसंगत है।

वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील स्वीकार योग्य है। नामान्तकरण सं. 923 दि. 05.12.2003 ग्राम पंचायत गुन्सी को निरस्त किया जाता है। तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाकर आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार गंगल्या के वारिसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/3/18

**हरिताभ कुमार आदित्य**
**(आर.ए.एस.)**
**उपखण्ड अधिकारी निवाई(टोंक)**

Scanned by CamScanner